रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 99] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 1974/वैशाख 5, 1896
No. 99] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 1974/VAISAKHA 5, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 25th April 1974

SUBJECT:—*Scheme for licensing of cotton yarn for export to all destination during the period from 1st April, 1974 to 31st December, 1974.*

No. 17-ETC(PN)/74.—In supersession of Public Notice Nos. 11-ETC(PN)/73, 22-ETC(PN)/73 and 24-ETC(PN)/73, dated the 26th March, 5th July and 4th August, 1973 respectively, laying down export policy of cotton yarn, it has now been decided to allow the export of the following types of singles and folded cotton yarn from India to all destinations during the perod from 1st April to 31st December, 1974:—

0 -6s (NE)
7s -10s
11s-16s
17s-24s
25s-34s
35s-48s
49s-60s

Export of other varieties of cotton yarn shall not be allowed.

2. For the purpose of licensing, shipment period will be from 1st April to 31st December, 1974.

3. Licenses under the Scheme shall be issued by the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay, on the basis of the quota certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL), Bombay.

4. These quota certificates shall be issued only to those manufacturer exporters and merchant exporters who are registered with the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, under the Registration Scheme.

5. The quantity to be distributed against high price realisation shall be as per the decision of Texprocil.

6. For exports to Burma, Libya, Bangladesh, Ceylon and U.A.R. or any other country which may be included later where business is to be negotiated by Texprocil, limitation with regard to count group shall not apply.

7. Quotas shall not be transferable without the express consent in writing by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay.

8. The non-refundable charge of Rs. 10 per 1,000 pounds (454.5 Kgs.) subject to a minimum of Rs. 10 will be charged by the Cotton Textiles Export Promotion Council for issue of quotas.

9. The quota holders shall have to submit a monthly report to the Cotton Textiles Export Promotion Council giving details of the shipment against individual entitlement issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of subsequent month.

10. All other terms and conditions as decided by Texprocil, Bombay from time to time shall also apply.

11. The Cotton Textiles Export Promotion Council shall

(a) supervise the entire scheme;

(b) keep a watch over the performance from time to time;

(c) interpret and give decisions on various matters arising out of the day to day operation of the scheme; and

(d) make such changes in the scheme as deemed fit from time to time.

The Council shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, inter alia, providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

12. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, is as follows:—

"ENGINEERING CENTRE"
5th floor,
9, Mathew Road.
Bombay-4.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1974

विषय.—1 अप्रैल 1974 से 31 दिसम्बर, 1974 तक की अवधि के दौरान सभी स्थानों को सूती धागों के निर्यात के लिए लाइसेंस देने से सम्बन्धित योजना।

सं० 17-आई०टी०सी० (पी० एम०)/74.—सूती धागे के निर्यात की नीति का निधारण करने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 11-ई टी सी (पीएन)/73 22/ई टी सी (पी एन)/73

तथा 24-ई टी सी (पी एन)/73 क्रमशः दिनांक 26 मार्च, 5 जुलाई एवं 4 अगस्त, 1973 के अधिक्रमण में अब यह निश्चय किया गया है कि 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर 1974 तक की अवधि के के दौरान भारत से सभी स्थानों के लिए निम्नलिखित सिंगल एंड फोल्डिड किस्मों के सूती धागों के निर्यात के लिए स्वीकृति दी जाए :—

0—6एम (एन ई)

7एम—10 एस

11 एस—16 एस

17 एस—24 एस

25 एस—34 एस

35 एस—48 एस

49 एस—60 एस

अन्य कोटि के सूती धागों के निर्यात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

2. लाइसेंस प्रदान करने के प्रयोजनार्थ पोतलदान की अवधि 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर 1974 तक होगी।

3. इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंस संयुक्त मुख्य नियंत्रण आयात-निर्यात बम्बई द्वारा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्समकोमिल) बम्बई द्वारा जारी किए गए कोटा-प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किए जायेंगे।

4. ये कोटा प्रमाण पत्र केवल उन विनिर्माता निर्यातकों एवं व्यापारी निर्यातकों को जारी किए जाएंगे जो पंजीकरण योजना के अन्तर्गत सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकृत हैं।

5. उच्च कीमत की प्राप्ति के मद्दे वितरण की जाने वाली मात्रा टेक्समकोमिल के निर्णय के अनुसार होगी।

6. बर्मा, लीबिया, बंगलादेश, श्रीलंका और संयुक्त अरब गणराज्य या अन्य कोई भी देश जिसे बाद में शामिल किया जाए और जहां टेक्समकोमिल द्वारा व्यापार के लिए बातचीत की जानी है, काउन्ट ग्रुप के सम्बन्ध में सीमानिर्धारण लागू नहीं की जायेगी।

7. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद बम्बई की लिखित रूप में स्पष्ट स्वीकृति के बिना कोटा हस्तान्तरणीय नहीं होंगे।

8. कोटा जारी करने के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रति 1000 पौंड (454.5 किलोग्राम) पर 10 रु० के हिसाब से एक अदेय शुल्क वसूला जाएगा और इसकी न्यूनतम राशि 10 रु० के अधीन होगी।

9. वे सभी कोटाधारी जिनको व्यक्तिगत लाइसेंस जारी किए गए हैं, उसके लिए उन्हें पोतलदान का विवरण देते हुए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन का विवरण देते हुए, सूती वस्त्र निर्यात परिचय को परिषद को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ये रिपोर्ट परिषद के पास अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक पहुंच जाने चाहिएं।

10. टेक्सप्रोमिल बम्बई द्वारा समय समय पर यथा निश्चित अन्य सभी नियम तथा शर्तें भी लागू होंगी ।

11. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के ये कार्य होंगे :—

(क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना ;

(ख) समय-समय पर कार्य पालन की निगरानी रखना ;

(ग) योजना के परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्नविभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना; और

(घ) योजना में समय-समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिसे समिति उपयुक्त समझे । अन्य बातों के साथ कोटा प्राप्त करने के लिए पात्र बनने से पहले की शर्तों का आवेदक से पालन कराने के लिए परिषद समय-समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिए भी अधिकृत हैं । उसे यह भी अधिकार होगा कि वह कोटा को रोकने या उसे रद्द करदे और बिना किसी कारण के समनुदेशित किए ही कोटा के लिए के लिए दिए गए आवेदनपत्र को रद्द करदे ।

12. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित है :—

"इंजीनियरिंग सेन्टर "
5वीं मंजिल, 9 मैथ्यू रोड,
बम्बई—4.

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974